उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

संख्या-670/6-पु-8-2016-801(07)/2015

लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2016.

संख्या-1306/छः-पु0-8-2009-801(07)/2015

लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई, 2018

प्रथम संशोधन नियमावली, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

यूनाईटेड प्राविन्सेज फायर सर्विस एक्ट, 1944 की धारा-25 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा/अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा के लिये नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016

भाग-1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016'' कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी''-

(एक) फायर स्टेशन आफिसर और फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद के संबंध में इसका तात्पर्य पुलिस उप महानिरीक्षक से है, और

(दो) फायरमैन, लीडिंग फायर मैन और फायर सर्विस चालक के पदों के सम्बंध में इसका तात्पर्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक यथास्थिति अपने-अपने जनपदों से है और जनपदों से भिन्न कार्यालयों पर उक्त पदों के सम्बंध में निदेशक, अग्निशमन सेवा, उत्तर प्रदेश से है ;

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेषों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है ;

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए य

(ड़) ''सविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य यथास्थिति महानिदेषक/अपर महानिदेषक उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से है ;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(´) ''नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गो'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़ें वर्गो से है ;

(ट) ''दण्ड नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 से है।

(ठ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है।

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा से है।

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेषों द्वारा तत्सयम विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी होय

(ण) ''उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय'' का तात्पर्य यथास्थिति महानिदेशक/अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीन कार्यशील मुख्यालय से है।

(त) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणीं के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक उप-नियम (प) के अधीन उसे परिवर्तन करने का आदेष पारित न किया जाय सेवा की सदस्य संख्या और प्रत्येक श्रेणीं के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी,

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	फायर स्टेशन आफिसर	160	76	236
2	फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर	190	20	210
3	लीडिंग फायरमैन	611	159	770
4	फायर सर्विस चालक	646	152	798
5	फायरमैन	3790	1198	4988

परन्तु यह किः-

(क) विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार सरकार के अनुमोदन से कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निधारित कर सकता है ;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा , या

(ग) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5. भर्ती का स्त्रोत

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए की जायेगी कि केवल वे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नही है, सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगेः

(1) फायरमैन- सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी- सेवाकाल में अग्निशमन विभाग के ऐसे मृतक आश्रित जो विभाग में फायरमैन के पद पर मृतक आश्रित के अधीन प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(2) फायर सर्विस चालक-

मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैन में से जिन्होनें परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो और भारी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) लीडिंग फायरमैन-

मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैन में से जिन्होने परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर-

(क) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी- सेवाकाल में अग्निशमन विभाग के ऐसे मृतक आश्रित जो विभाग में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर मृतक आश्रित के अधीन प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी । प्रतिबन्ध यह है कि फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त फायर सर्विस चालकों और लीडिंग फायरमैन में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

5 फायर स्टेशन आफिसर-

अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से ऐसे फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर नियुक्त किये जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परीवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये, इस रूप में सात वर्ष की सेवा कर ली हो।

6. आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संषोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (षारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेषों के अनुसार किया जायगा, किन्तु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अर्ह नहीं होंगे।

भाग-चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु यह कि उपर्युक्त (ख) या (ग) के श्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि (ख) श्रेणी के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त ''ग'' श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हता

अग्निशमन सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैः

(1) फायरमैन-

अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता वही होगी जो आरक्षी नगरिक पुलिस की सीधी भर्ती हेतु तत्समय प्रवृत्त समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवानियमावली, 2015 के अधीन विहित की गयी हो।

(2) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

9. अधिमानी अर्हताएं-

अन्य बातों के समान होने पर फायरमैन एवं फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः

(एक) डीओईएसीसी/नाईलेट सोसायटी से कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र या

(दो) प्रादेषिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:-उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में अधिमानी अर्हता प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जायेगी।

(ख) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-

(एक) डीओईएसीसी/नाइलेट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्रय या

(दो) प्रादेषिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की होय या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:-उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में अधिमानी अर्हता प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जायेगी।

10. आयु

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की होः

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	फायरमैन	18 वर्ष	22 वर्ष
2	फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर	21 वर्ष	28 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

11. चरित्र

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्ति से पूर्व अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12.वैवाहिक प्रास्थिति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ;दि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13.शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणीः- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित किसी शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक- नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14.रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाॅं, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगीः-

(एक) (क) व्यापक प्रसार वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करकेय

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वाराय

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करकेय

(घ) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

15.सीधी भर्ती की प्रक्रिया - उ0प्र0 अग्निशमन सेवा में फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(1)-फायरमैन- फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

(2)-फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर- फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस की होगी।

16. चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक

माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

17(1). प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(क) फायर सर्विस चालक

फायर सर्विस चालक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायरमैन में से निम्नलिखित नीति से की जायेगीः-

फायर सर्विस चालक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायरमैनों में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो और भारी वाहन चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।

(ख) लीडिंग फायरमैन

लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायरमैन में से निम्नलिखित पात्र कर्मियों में से पदोन्नति व्दारा निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेगीः-

लीडिंग फायरमैन के पदों पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायरमैनों में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

(ग) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर-

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त पात्र लीडिंग फायरमैन और फायर सर्विस चालक में से निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेंगी:-

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायर सर्विस चालक और लीडिंग फायरमैन में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं जो परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हों।

(घ) फायर स्टेशन आफिसर-

फायर स्टेशन आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर में से निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेगी:-

फायर स्टेशन आफिसर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2). पदोन्नति हेतु चयन समिति-

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) चयन समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड़) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छः

नियुक्ति, प्रषिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18 (1) नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनाॅक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित होने के विषय में सूचित कर दें। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियांे के एक अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा की उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जायः

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रशिक्षण

19. (1) (क) फायरमैन एवं फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर फायर सर्विस ट्रेनिंग मैनुअल में निहित

प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्ति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा

20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रषिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण

21.(1) इस नियमावली के नियम 20 एवं उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा। यदिः

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2)जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह

घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. (1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये अग्निशमन सेवा कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त यथास्थिति बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी । एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अग्निशमन सेवा कार्मिक एक पृथक चयन माना जायेगा। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पष्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(5) पूर्वोक्त के होते हुये भी यदि ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाष में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष व्दारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् दिये गये है:-

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन(रू0)
1	फायर मैन वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड	5200-20200	2000
2	फायर सर्विस चालक	वेतन बैण्ड	5200-20200	2400
3	लीडिंग फायरमैन वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड	5200-20200	2400
4	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
5	अग्निशमन अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600

24- **परिवीक्षा अवधि में वेतन**

(1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

25.पक्ष समर्थन

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिषों से भिन्न किन्हीं सिफारिषों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26.अन्य विषयों का विनियमन

विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेषों के संबंध में सेवा में नियुक्त व्यक्ति फायर सर्विस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशांे के अनुसार शासित होंगे।

27. दण्ड एवं अपील

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के सभी अधिकारी/कर्मचारी, उनकी विभागीय कार्यवाही, दण्ड और अपील सम्बन्धित प्रकरणों हेतु, समय-समय पर

यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 द्वारा शासित होंगे।

इस हेतु उक्त दण्ड नियमावली मेः

(1) 'पुलिस अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के सभी अधिकारी/कर्मचारियों से है, एवं आरक्षी पुलिस का तात्पर्य फायरमैन से, मुख्य आरक्षी पुलिस का तात्पर्य लीडिंग फायरमैन एवं फायर सर्विस चालक से, उपनिरीक्षक पुलिस का तात्पर्य फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर से तथा निरीक्षक पुलिस का तात्पर्य फायर स्टेशन आफिसर से है।

(2) 'पुलिस उपाधीक्षक' में अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(3)'राजपत्रित अधिकारी' में अग्निशमन सेवा विभाग में तैनात वह सभी अधिकारी सम्मिलित होंगे जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी से निम्न स्तर के न हो।

(4) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय में तैनात पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी जो पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से निम्न स्तर का न हो वह -

(एक) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दण्ड नियमावली के नियम-4 में यथाउल्लिखित कोई भी दण्ड दे सकता है एवं इसका आदेश् पारित कर सकता है, जैसा कि दण्ड नियमावली के नियम-7(1) में वर्णित है।

(दो) दण्ड नियमावली के नियम 17 में यथा वर्णित -

(क) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्वयं निलम्बित कर सकता है।

(ख) किसी भी अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक अथवा निदेशक अग्निशमन सेवा से निम्न स्तर का न हो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित करने के लिये अधिकृत कर सकता है।

(ग) किसी भी अधिकारी को, जो संयुक्त निदेशक अग्निशमन सेवा से निम्न स्तर का न हो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जो फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर से निम्न श्रेणी का हो, निलम्बित करने के लिये अधिकृत कर सकता है।

(तीन) दण्ड नियमावली के नियम 11 के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग कर सकता है।

(चार) उचित स्तर के किसी भी अधिकारी को, दण्ड नियमावली के नियम-12 के अनुसार, जांच स्थानान्तरित कर सकता है।

28.सेवा की शर्तो में शिथिलता

जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवष्यक समझे, अभिमुक्त या षिथिल कर सकती है।

29.व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतो पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

30. अध्यारोही प्रभाव

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेष या प्रषासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) अग्निशमन सेवा के फायरमैन, फायर सर्विस चालक, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर एवं फायर स्टेशन आफिसर के चयन, पदोन्नति, प्रषिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

(3) सेवारत् सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेषों या प्रषासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रषिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा, और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे।

(4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेषों या प्रषासनिक अनुदेशों के अधीन 14 अक्टूबर, 2010 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रषिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी।

परिषिष्ट

नियम-17(1)(ग) देखें,

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण

1- शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें-

(क) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक।

(ख) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2- शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये अभ्यर्थियों को 3.2 कि0मी0 की तेज चाल 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

टिप्पणी:- समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3- दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्षिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4- दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगाः-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ठ के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाषीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विषिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणीः-समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।